न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष: एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3451--पीबीआर / 12 विरुद्ध आदेश दिनांक 24.8.12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 13 2009--10 / अपील

हनुमान टेकरी मन्दिर ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष
नारायण प्रसाद अग्रवाल, अशोक बूट हाउस,
निचला बाजार, गुना म.प्र.

------ आवेदक

विरूद्ध

1-- उदय सिंह पुत्र स्व. बलवन्त सिंह कुशवाह
निवासी पुरानी छावनी, जोशी महल्ला,
गुना म.प्र.

2-- मुल्लोबाई पुत्री स्व. बलवन्त सिंह कुशवाह
निवासी बांसखेड़ी, रेल्वे फाटक के पास,
केन्ट गुना म.प्र.

------ असल अनावेदक

3-- पुनयांबाई पुत्री स्व. श्री किशन काछी
निवासी पुरानी छावनी गुना म.प्र.

4-- रमको बाई पुत्री स्व. श्री किशन पत्नी
नारायण सिंह काछी निवासी खेजराशाना,
जिला गुना म.प्र.

5-- रामकुंवर बाई पुत्री स्व. प्रभूलाल निवासी
काला पाठा, केन्ट गुना म.प्र.

6-- गनेशीबाई पुत्री स्व. लालाराम पत्नी हरप्रसाद कुशवाह
निवासी फतेहपुर पोस्ट पाटई
परगना व जिला गुना म.प्र.

------ तरतीवी अनावेदक

श्री एस. के. अवस्थी, अधिवक्ता आवेदक
श्री एस.के. वाजपेई, अधिवक्ता, अनावेदक क्र 3 से 6

:: आदेश ::

(आज दिनांक 05 अक्टूबर 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 133 / 2009--10 / अपील में पारित आदेश दिनांक 24.8.12 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है

2-- प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट, गुना की ओर से इस आशय का आवेदन विचारण न्यायालय में दिया गया कि कस्बा गुना स्थित विवादित भूमि सर्वे नं. 5 रकबा 1.985 हैक्टर स्थित है जिस पर हनुमान जी का मेला चैतसुदी पूनम को भरता है एवं मंगलवार, शनिवार आदि दिनों मे भेकरी सरकार के भण्डारे होते रहे हैं । मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस पर वृक्षारोपण भी किया है उपरोक्तभूमि पर कब्जा काफी समय पूर्व से चला आ रहा है कुछ असामाजिक लोग इस भूमि को अनैतिक रूप से खरीद कर मेले की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं अतः उक्त भूमि पर आवेदक ट्रस्ट का कब्जा दर्ज किया जाये तथा भूमि के किसी भाग पर ट्रस्ट को सूचना दिए बिना नामांतरण न किया जाये । इस आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 20.12.07 द्वारा श्री हनुमान टेकरी ट्रस्ट गुना का चालू वर्ष के खसरे में कब्जा दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरुद्ध अनावेदकों द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 30.9.09 द्वारा निरस्त की । एस.डी.ओ. के आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश को जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित किया है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3-- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त ने अपने कर्त्तव्यों का समुचित निर्वाह नहीं किया है उनके समक्ष आवेदक ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों तथा अभिनिर्धारणों कोई विचार नहीं किया और ना ही उनका उल्लेख आदेश में किया है । विचारण न्यायालय ने हित रखने वाले व्यक्तियों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया है । अनावेदक क्र. 1 एवं 2 के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति ने इस आदेश को किसी स्तर पर चुनौती नहीं दी । ऐसी स्थिति मे अपर आयुक्त का यह मानना कि समस्त भूमिस्वामियों को सुनवाई का अवसर नही दिया गया मानने योग्य नहीं है । जिस न्यायदृष्टांत का उल्लेख अपर आयुक्त ने किया है उसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न हैं । आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 2002 आर.एन. 5-खण्डपीठ एवं 2004 आर.एन. 365 का उल्लेख करते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4-- अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5-- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का

अवलोकन किया । इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि प्रकरण में जो तथ्य आए हैं उससे स्पष्ट है कि सर्वे नं 5 में से रकबा 0.496 हैक्टर भूमि हनुमान टेकरी ट्रस्ट के नाम अंकित है तथा इसी सर्वे नं 5 का शेष भूमि रकबा 1.489 पांचीबाई आदि के नाम दर्ज है । पटवारी कस्बा द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसमें यह स्पष्ट है कि सर्वे नं. 5 पर पारंपरिक रूप से विगत कई वर्षों से मेला भरता है तथा आवेदक हनुमान ट्रस्ट का कब्जा है । तहसीलदार ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि अनावेदकों ने भी यह स्वीकार किया है कि मेला एक दिन हनुमान जयंती के दिन भरता है । साक्षियों द्वारा मंगलवार, शनिवार एवं शुक्रवार को 5–10 हजार श्रद्दालुओं का आना बताया है तथा भूमि पर मंदिर का कब्जा बताया है । अनावेदकों के साक्षियों द्वारा भी प्रश्नाधीन भूमि पर मंदिर ट्रस्ट का कब्जा होना तथा मंदिर ट्रस्ट की ओर से पानी की टंकी हेडपंप एवं वृक्ष आदि लगा होना स्वीकार किया है । उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार ने प्रश्नाधीन भूमि श्री हनुमान टेकरी ट्रस्ट का कब्जा चालू वर्ष में खसरे में दर्ज किये जाने के आदेश दिए हैं । प्रकरण में जो परिस्थितियां आई हैं उनको देखते हुए विचारण न्यायालय का आदेश उचित वैधिसम्मत होने के कारण उसे स्थिर रखने में अनुविभागीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है । अनुविभागीय अधिकारी ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल एक वर्ष के लिए आधिपत्य दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं आगे के संबंध में उक्त आदेश प्रभावी नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.8.12 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.9.09 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर